न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर :– 03/2024 **(जी सी एम एस नम्बर 2024/8)**

उनवानी प्रकरण :–

1–करूआ पुत्र नारायन सिंह | समस्त जातिगण काछी
2–मुन्नी पुत्री नारायन सिंह |
3–रामवती पुत्री नारायन सिंह |
4–कमला पुत्री नारायन सिंह | निवासीगण ग्राम भागना
5–श्यामो पुत्री नारायन सिंह | तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ....**अपीलान्टस**

बनाम

1–तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–अनारदेई पत्नी दाताराम |
3–ओमप्रकाश पुत्र दाताराम |
4–नथुआ पुत्र दाताराम | समस्त जातिगण कुशवाह
5–सुखराम पुत्र दातादाम |
6–मटरो पुत्री दाताराम |
7–मीना पुत्री दाताराम |
8–रामरती पत्नी ठकुरी |
9–देवेन्द्र सिंह पुत्र ठकुरी | समस्त निवासीगण ग्राम भागना
10–दिनेश पुत्र ठकुरी |
11–पप्पू पुत्र ठकुरी |
12–मनोज पुत्र ठकुरी |
13–दीवलिया पुत्री ठकुरी | तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
14–रेखा पुत्री ठकुरी |
15–रामप्रसाद पुत्र ठकुरी |
16–सलिकी पुत्र रूपसिंह |
17–रमेश पुत्र रूपसिंह |
18–अशोक पुत्र गोकुल सिंह |
19–मुन्ना पुत्र गोकुल सिंह |
20–भूदेवी पत्नी गोकुल सिंह |
21–बेबी पुत्री गोकुल सिंह |
22–राजकुमारी पुत्री गोकुल सिंह |
23–रामसनेही पुत्री गोकुल सिंह |
24–शकुन्तला पुत्री गोकुल सिंह |
25–सोमौती पुत्री गोकुल सिंह |
26–रामबेटी पत्नी मोहन |
27–राधा पुत्री मोहन |
28–सियाराम पुत्र मोहन | ....**रेस्पोडेण्टस**

(अपील विरूद्व बंटवारा आदेश तहसीलदार सैपऊ तारीखी 09.12.2021)

जिला कलक्टर
धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :– पैरोकार सरकार
रेस्पो0सं0 5,8लगा011,14.15.17लगा020,26,27 की ओर से :– श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

दिनांक : 28.04.2025

निर्णय

उक्त अपील अपीलान्टस द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्टस आराजी खसरा नम्बर 1666, 17, 38, 83, 1700, 1701, 1712, 1713, 1714 ग्राम भागना तहसील सैपऊ में संयुक्त रूप से 5/14 भाग के अभिलिखित खातेदार थे तथा मौके पर मुताबिक हिस्सा बदस्तूर काबिज काश्त है इसी प्रकार रैस्पो0 संख्या–2 लगा07 संयुक्त रूप से 1/14 भाग के, रेस्पो0 संख्या 8 लगा014 संयुक्त रूप से 1/14 भाग के, रेस्पो0 संख्या 15 लगा017 संयुक्त रूप से 3/10 भाग के, रेस्पो0 संख्या 18 लगा0 25 संयुक्त रूप से 1/10 भाग के व रेस्पो0 संख्या 26 लगा028 संयुक्त रूप से 1/10 भाग के अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे तथा मुताविक हिस्सा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। अपीलान्टस सीधे साधे अशिक्षित कृषक है जिसका लाभ उठाकर रेस्पोडेन्टस ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अवैध रूप से विवादित आराजी का बंटवारा कराकर अपीलान्टस के हिस्से के अनुपात में भूमि न देकर कम जमीन दी है जबकि रेस्पो0 द्वारा अपने अपने हिस्से में आनुपातिक रूप से अधिक भूमि अंकित करा ली है जो कि विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। रेस्पो0 द्वारा बंटवारा आदेश में अपीलान्टस को 1.3472 हैक्टेयर भूमि के बजाय 0.7486 हैक्टेयर भूमि ही अपीलान्टस के हिस्से में दर्ज कराई है जो कानून की निगाह में अवैध है तथा बंटवारा नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है तथा बंटवारा नियमों के विपरीत होने से अपीलाधीन बंटवारा आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन बंटवारा आदेश पर अपीलान्टस की किसी प्रकार कोई सहमति नहीं रही पटवारी हल्का एवं रेस्पो0 ने राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के बहाने से अपीलान्टस के धोखे में अंगूठा निशानी करा दिये है अतः उपरोक्त अपीलाधीन फर्जी एवं कूटरचित बंटवारा आदेश से अपीलान्टस के हितों पर कतई कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है ऐसा विधि विरूद्व बंटवारा प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है। अपीलान्टस अशिक्षित काश्तकार व्यक्ति है जो अपीलाधीन बंटवारा आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.12.2023 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई पटवारी एल.आर.सी. द्वारा बताये जाने पर हुई तथा अपीलाधीन बंटवारा आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सैपऊ के यहां दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्टस को दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्टस ज्ञान से अन्दर म्याद शुमार की जावे यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है फिर भी धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन बंटवारा आदेश को निरस्त किये जाने तथा अपीलान्टस का मुताविक हिस्सा पुनः बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने का आदेश दिये जाने किये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया। रेस्पो0सं01 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रेस्पो0 संख्या–5, 8लगा011,14.15. 17लगा020, 26,27 की ओर श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा शेष अप्रार्थीगण बावजून सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनक विरूद्व दिनांक 17.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्टस अशिक्षित काश्तकार व्यक्ति है अपीलाधीन बंटवारा आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22.12.2023 को जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई पटवारी एल. आर.सी. द्वारा बताये जाने पर हुई तथा अपीलाधीन बंटवारा आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार सैपऊ के यहां दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्टस को दिनांक 26.12.2023 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्टस ज्ञान से अन्दर म्याद शुमार की जावे यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा किया जावे। रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि सहमति बटवारा आराजी कास्त का कराने के लिये अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संयुक्त रूप से मिलकर एक साथ पंचायत मुख्यालय कैम्प स्थल हाजीपुर गये थे वहां संयुक्त रूप से आवेदन प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का व आई एल आर ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की थी और सभी पक्षकारान अपीलान्टस एवं सभी रेस्पो0 के हस्ताक्षर व अंगूठा कराये गये एवं सभी के फोटो चस्पा हुये थे तथा तहसीलदार सैपऊ के समक्ष बटवारा विधिवत रूप से प्रशासन गॉव के संग अभियान में पारित किया गया। उक्त दिनांक से ही अपीलान्टस को सहमति बटवारे की पूर्ण जानकारी रही है। उक्त बटवारा आदेश की पूर्ण जानकारी व ज्ञान अपीलान्टस को रहते हुये भी अपील लगभग ढाई साल के पश्चात म्याद वाहर गैरकानूनी रूप से प्रस्तुत की है। हमने दोनो पक्षों की प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्टस अशिक्षित कृषक है रेस्पोडेन्टस ने विवादित आराजी का बंटवारा कराकर अपीलान्टस के हिस्से के अनुपात में भूमि न देकर कम जमीन दी है जबकि रेस्पो0 द्वारा अपने अपने हिस्से में आनुपातिक रूप से अधिक भूमि अंकित करा ली है जो कि विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। रेस्पो0 द्वारा बंटवारा आदेश में अपीलान्टस को 1.3472 हैक्टेयर भूमि के बजाय 0.7486 हैक्टेयर भूमि ही अपीलान्टस के हिस्से में दर्ज कराई है जो कानून की निगाह में अवैध है तथा बंटवारा नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरीत है तथा बंटवारा नियमों के विपरीत होने से अपीलाधीन बंटवारा आदेश काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन बंटवारा आदेश पर अपीलान्टस की किसी प्रकार कोई सहमति नहीं रही पटवारी हल्का एवं रेस्पो0 ने राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने के बहाने से अपीलान्टस के धोखे में अंगूठा निशानी करा दिये है अतः उपरोक्त अपीलाधीन फर्जी एवं कूटरचित बंटवारा आदेश से अपीलान्टस के हितों पर कतई कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है ऐसा विधि विरूद्व बंटवारा प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल निरस्ती के है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

रेस्पो0 के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त अपीलाधीन बंटवारा आदेश तहसीलदार सैपऊ द्वारा विवादित सम्पूर्ण आराजीयात का सभी अभिलिखित खातेदारान की उपस्थिति में उनकी सहर्ष सहमति व स्वीकृति से विधिवत रूप से प्रशासन गॉव के संग अभियान में पारित किया गया है। विवादित आराजीयात का बटवारा अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा0 28 के मध्य दिनांक 09.12.2021 को प्रशासन गॉव के संग अभियान कैम्प स्थल हाजीपुर तहसील सैपऊ में राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवश्यक स्टॉम्प पेपर के साथ तहरीर किए गये लिखित आपसी समझौते व सहमति से सभी की रजामन्दी से तहरीर किए गये समझौते बंटवारे के आवेदन जिस पर अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 28 सभी की सहमति व स्वीकृति क हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र व स्टाम्प पर किए गए तथा अपीलान्टस व रेस्पो0 ने अपने अपने फोटो आपसी समझौते बंटवारे के प्रार्थना पत्र की पुश्त पर चस्पा किये थे जिसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। अपीलान्टस इस प्रकार की सहमति बंटवारे से कानूनन पाबन्द है। कानूनन सहमति के आधार पर किये गये बटवारे आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिजी है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्टस ने यह अपील बटवारा आदेश दिनांक 09.12.2021 के विरूद्व पेश की है। उक्त बंटवारा आदेश का अवलोकन किया गया। खातेदारी कृषि भूमि का आपसी समझौते से बंटवारा कराने हेतु अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगा0 28 के मध्य दिनांक 09.12.2021 को प्रशासन गॉव के संग अभियान कैम्प स्थल हाजीपुर तहसील सैपऊ में राजस्व अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। लिखित आपसी समझौते व सहमति से सभी की रजामन्दी से तहरीर किए गये समझौते बंटवारे के आवेदन जिस पर अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगा0 28 सभी की सहमति व स्वीकृति के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर अंकित है तथा अपीलान्टस व रेस्पो0 ने अपने अपने फोटो आपसी समझौते बंटवारे के प्रार्थना पत्र की पुश्त पर चस्पा हो रहे है। उक्त सहमति बटवारे के आवेदन पर पटवारी हल्का की रिर्पोर्ट दिनांक 9.12. 2021 अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 53 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर उपरोक्तानुसार विभाजन तहसीलदार सैपऊ द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन बंटवारा आदेश तहसीलदार सैपऊ द्वारा विवादित सम्पूर्ण आराजीयात का सभी अभिलिखित खातेदारान की उपस्थिति में उनकी सहर्ष सहमति व स्वीकृति से विधिवत रूप से प्रशासन गॉव के संग अभियान में पारित किया गया है। अपीलान्टस इस प्रकार की सहमति बंटवारे से कानूनन पाबन्द है। कानूनन सहमति के आधार पर किये गये बटवारे आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिजी है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट संख्या–2 मुन्नी ने स्वंय उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र उक्त सहमति हुये बटवारे को स्वीकार करते हुये कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है तथा उक्त अपील को मौजूदा सूरत में विड्राल में खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर